प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 907 वर्ष 2003

अपीलकर्ता: जितेंद्र कुमार और अन्य

(अभिरक्षा में)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश
09/9/2010

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

सही /-
आर.एन.चंद्राकर,
न्यायाधीश
09/9/2010

10-9-2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें।

मैं सहमत हूँ।

सही /-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील संख्या 907 वर्ष 2003

अपीलकर्ता:

(अभिरक्षा में)

1. जितेंद्र कुमार पिता प्रतापराय भावनानी, उम्र 30 वर्ष, व्यवसाय - व्यापार
2. प्रतापराय भावनानी पिता मोरंगमल भावनानी, उम्र लगभग 55 वर्ष, व्यवसाय -व्यापार
3. राजेश भवनानी पिता प्रतापराय भवनानी, उम्र 25 वर्ष, व्यवसाय - छात्र
4. पुष्पा देवी, पत्नी प्रतापराय भवनानी, उम्र लगभग 51 वर्ष, व्यवसाय: गृहिणी,

सभी निवासी ग्राम गोलबाजार , बरेठापारा , खैरागढ़ , तहसील: खैरागढ़ , जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना खैरागढ़ ,

जिला राजनांदगांव (छग)

उपस्थित:

श्री सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नीरज मेहता और श्री मनीष शर्मा, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री यू.एन.एस. देव, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ:

माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर.एन.चन्द्राकर

[न्यायाधीशगण]

निर्णय

(10-09- 2010 को प्रदत्त)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा दिया गया।

1. यह दाण्डिक अपील सत्र विचारण क्रमांक 15/2003 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के 19 जुलाई 2003 के निर्णय के खिलाफ है, जिसके तहत विद्वान

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ , जिला राजनांदगांव ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता.की धारा 498 - क, 304 - ख, 302 और 201 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराया था और उनमें से प्रत्येक को भा.द.सं. की धारा 302 और 201 के तहत क्रमशः आजीवन कारावास और 7 साल के सश्रम कारावास से दण्डित किया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं को भा.द.सं. की धारा 304 - ख और 498 - क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अलग से दण्डित नहीं किया गया है क्योंकि धारा 302 के तहत जुर्माना भारतीय दंड संहिता. की धारा 304 - ख की तुलना में उच्च है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अभियोजन पक्ष का मामला</u>

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि मृतका वंदना भावनानी का विवाह अपीलार्थी जितेंद्र के साथ वर्ष 1998 में हुआ था। विवाह के तुरंत बाद से ही उसके पति, ससुर प्रताप राय, देवर राजेश और सास पुष्पा बाई द्वारा दहेज के लिए उसे प्रताड़ित और परेशान किया जाता था। 22-10-2002 को रात्रि 8.30 बजे सभी अभियुक्तों ने मायके से दहेज न लाने पर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और उसे मृत अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल ले गए तथा ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि उसने आत्महत्या की है।

3. मर्ग सूचना (प्रदर्श -पी/1) डॉ. पीएस परिहार (अ.सा.-8) द्वारा वार्ड बॉय के माध्यम से 22-10-2002 को दी गई थी कि मृतका वंदना को मृत अवस्था में 100% जली हुई अवस्था में अस्पताल लाया गया था। मर्ग दर्ज करने के बाद , अ. सा. 10 राजेश अग्रवाल ने प्रदर्श -पी/4 के तहत मृतका के सम्बन्ध में मृत्यु समीक्षा की और शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल खैरागढ़ भेजा जहां डॉ. पीएस परिहार (अ. सा.8) और डॉ. सीमा जैन ने 23-10-2002 को पोस्टमार्टम किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श -पी/6 के तहत दी। उसी दिन जली हुई वस्तुएं यानी एक तीली सहित माचिस, जमीन पर पड़े दरवाजे की टूटी हुई कुंडी, गीले कपड़े, अलमारी को खरोंचने के बाद निकाले गए कार्बन कण आदि प्रदर्श -पी/9 के तहत जब्त किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अ.सा.-10 द्वारा प्र.-पी/10 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया। अस्पताल से प्राप्त 7 सीलबंद डिब्बे (टिन के डिब्बे) जिनमें विसरा, मृतका के शरीर के अंदर से निकला खून, मृतका के बाल, मृतका के कपड़े आदि थे, प्र.-पी/11 के अनुसार जब्त किए गए। मृतका की श्वासनली का हिस्सा और अस्पताल से प्राप्त द्रव का नमूना भी प्र.-पी/12 के अनुसार कब्जे में लिया गया। विवेचना के दौरान जब्त की गई उपरोक्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर को प्र.-पी/14 के अनुसार भेजा गया और विधि

विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.-पी/15 है। हल्का पटवारी द्वारा प्र.-पी/30 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार कराया गया।

5. विवेचना के उपरान्त खैरागढ़ के न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को सौंप दिया और इसे विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण के लिए अंतरण में प्राप्त किया गया ।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता. की धारा 498 - क और 304 - ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 या वैकल्पिक रूप से भारतीय दंड संहिता. की धारा 302, 306 और 201 के तहत आरोप तय किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अभियोजन पक्ष ने कुल 10 साक्षियो का परीक्षण कराया की। इसके बाद, अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले में अपने विरुद्ध दिखाई गई परिस्थितियों से इनकार किया।

8. अपीलार्थी जितेन्द्र ने प्रश्न क्रमांक 53 के उत्तर में बताया कि घटना दिनांक को वह अपने पिता के साथ आलू की दुकान में बैठा था, तभी उसके मामा के लड़के ने आकर बताया कि उसके कमरे से धुंआ निकल रहा है, इस पर वह अपने पिता को दुकान में छोड़कर अपने घर गया तो देखा कि उसके घर के बाहर भीड़ जमा थी। उसने होरीलाल और पड़ोस के 2-4 अन्य व्यक्तियों की मदद से अपने घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर गया। उसने होरीलाल की मदद से दूसरा दरवाजा भी

तोड़ा तो देखा कि वंदना जल गई थी। वंदना पिछले डेढ़ माह से असामान्य मासिक धर्म से पीड़ित थी। वह 10-15 दिन पहले रायपुर विवेचना के लिए गई थी और डॉक्टर ने उसे बताया था कि कैंसर के कारण उसका गर्भाशय निकालना पड़ेगा। इस वजह से वह बहुत परेशान थी। उसका भाई राजेश गंडई में रहता था और उसके माता-पिता गंडई में रहने की योजना बना रहे थे और इस वजह से भी वंदना को चिंता रहती थी कि वह घर में अकेली कैसे रहेगी। वह वंदना और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खुशी-खुशी रह रहा था।

9. आरोपियों नेअपने बचाव में डॉ. श्रीमती लक्ष्मी जीरानी और डॉ. सुनीता ढेंगे का भी परीक्षण कराया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और निर्णय के पैरा - 1 के अनुसार दण्डित किया। हालांकि, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता. की धारा 306 के तहत आरोप से दोषमुक्त कर दिया।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ-9 में विचारार्थ विवाद्यक निर्धारित करने के पश्चात् इस प्रकार निर्णय दिया:-

- "अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्तगणों ने दहेज की मांग को लेकर मृतका लक्ष्मीबाई उर्फ वंदना को 22-10-2002 की रात्रि तक 4 वर्षों तक लगातार

प्रताड़ित किया तथा उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया।

- अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह साबित कर दिया है कि लक्ष्मीबाई उर्फ वंदना के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण, उसकी शादी के 7 साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और अपीलकर्ताओं ने उसकी दहेज युक्तियुक्त मृत्यु कारित की।

- मृतका के शरीर पर मौजूद जलने के निशान प्रकृति में मृत्यु के पश्चात के थे। अपीलकर्ताओं ने मृतका की हत्या करने के बाद उसके शव को आग लगा दी और अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के यह स्थापित कर दिया कि अपीलकर्ता जितेंद्र कुमार, यह अच्छी तरह जानते हुए कि मृतका की हत्या की गई है, खुद को और अन्य अभियुक्तों को विधिक दंडादेश से बचाने के लिए प्रकाश राम कुंभवानी को फोन पर गलत सूचना दी कि वंदना ने आत्मदाह कर लिया है और सभी अभियुक्तों ने यह अच्छी तरह जानते हुए कि उसकी हत्या की गई है, खुद को बचाने के लिए झूठी सूचना दी कि उसने आत्महत्या कर ली है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने तर्क दिया कि मृत्यु समीक्षा कार्यवाही के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि

विवेचना राजेश अग्रवाल (अ. सा.10), उपखण्ड अधिकारी (पु) द्वारा की जा रही थी। विवेचना उसके माता-पिता और निकट संबंधियों की उपस्थिति में की गई थी, तथापि, उस समय दहेज की मांग या उत्पीड़न के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी। वे 23-10-2002 को खैरागढ़ से चले गए और आरोप पहली बार 29-10-2002 को लगाए गए, जब प्रकाश, रजनी और मृतका के अन्य संबंधियों ने उपखण्ड अधिकारी (पु) से मुलाकात की और एक लिखित शिकायत (प्रदर्श - पी/3) सौंपी और उसके बाद ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिनमें दहेज की मांग और उत्पीड़न के संबंध में आरोप लगाए गए थे। यद्यपि श्री कैलाश बाजपेयी (अ.सा.-7) द्वारा 26-10-2002 को प्र.-पी/5 के तहत धारा 304 - ख और 498 - क भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया था, तथापि, यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि 29-10-2002 से पहले मृतिका की दहेज हत्या के संबंध में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दोषपूर्ण सबूत एकत्र किया गया था। शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर मौत का कारण पता लगाने में सक्षम नहीं थे, हालांकि उन्होंने कहा है कि मृतक के शरीर पर पाए गए जलने के घाव मृत्यु के बाद आये है ऐसा प्रतीत हो रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा निर्विवाद सबूत पेश किए गए हैं कि जिस कमरे में मृतक का मृत शरीर पाया गया था, वह अंदर से बंद था और घटना के बाद होरीलाल और जितेंद्र ने उसे तोड़ दिया था। राजेश अग्रवाल, जिन्होंने घटना के अगले दिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौके से जब्ती की थी, उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि शव तक पहुंचने के लिए दो दरवाजे तोड़े गए थे और एक दरवाजे का ताला अंदर से लगा हुआ था और उन्होंने मौके से जमीन पर पड़े दरवाजे की उखड़ी हुई कुंडी भी बरामद कर ली थी। राजेश अग्रवाल ने मृतका के पिता की उपस्थिति में प्रदर्श -पी/10 का घटनास्थल मौका नक्शा तैयार किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभियोजन पक्ष के अकाट्य साक्ष्यों के आधार पर, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि मृतका ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था और इससे यह निर्णायक रूप से सिद्ध होता है कि उसने आत्महत्या की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. शव परीक्षण सर्जन ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि शव परीक्षण के दौरान जलने के निशान और श्वासनली में कालिख के कणों का न होना, मृतक की मृत्यु भय के कारण वेगल (वेगस तंत्रिका संबंधी) अवरोध के कारण हो सकती है और बचाव पक्ष द्वारा परीक्षित विशेषज्ञ ने भी इसी प्रकार के साक्ष्य दिए हैं। शव परीक्षण सर्जन मृत्यु के कारण के बारे में निश्चित नहीं है और उसने विवेचना अधिकारी को सिफारिश की थी कि फोरेंसिक विशेषज्ञ से आगे की राय ली जाए, हालाँकि, ऐसी कोई राय नहीं ली गई। इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मृतक की हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को आग लगा दी गई थी, गलत है और जब मामला हत्या के बजाय आत्महत्या का हो सकता है, तो संदेह का लाभ अपीलकर्ताओं को प्राप्त होना चाहिए। अभियोजन पक्ष

पर यह साबित करने का दायित्व था कि हत्या के समय अपीलकर्ता घर के अंदर मौजूद थे। अभिलेखों में साक्ष्य उपलब्ध हैं कि अपीलकर्ता उस दो मंजिला इमारत में रहते थे जिसमें तीन अन्य परिवार भी रहते थे। एक भी गवाह ने यह गवाही नहीं दी है कि अपीलकर्ता घटना के समय या उसके आसपास घर के अंदर मौजूद थे। राजेश अग्रवाल का यह साक्ष्य कि उन्हें विवेचना के दौरान पता चला कि अपीलकर्ता घर के अंदर थे, न केवल अफवाह है, बल्कि प्रत्यक्षदर्शियों का ऐसा साक्ष्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत आता है और ऐसा साक्ष्य अग्राह्य है। हत्या के समय अपीलकर्ताओं के घर के अंदर मौजूद होने के संबंध में किसी भी साक्ष्य के अभाव में, उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मृतका के पति, अपीलकर्ता जितेंद्र ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि मृतका गंभीर मासिक धर्म की समस्या से पीड़ित थी और इस वजह से वह पूरी तरह से परेशान थी। उपरोक्त बचाव रजनी (अ.सा.-4) के साक्ष्य, बचाव पक्ष की गवाह डॉ. श्रीमती लक्ष्मी के साक्ष्य में आया है और इस तथ्य से सिद्ध होता है कि शव परीक्षण के दौरान भी शव परीक्षण करने वाले सर्जन को सैनिटरी पैड मिला था।

15. मोदी के मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, 23 वें संस्करण का सन्दर्भ देते हुए, यह तर्क दिया गया कि जलने से हुई मौत के मामलों में गर्मी के प्रभाव में रक्त का

चेरी जैसा लाल रंग भूरे रंग, में बदल सकता है और इस प्रकार, भूरे रंग के रक्त का पाया जाना इस बात का संकेत है कि मृतक ने आत्महत्या की थी।

16. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री यूएनएस देव ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अ.सा.-2 प्रकाश राय, भाई; अ.सा.-3 सुलोचना और अ.सा.-4 रजनी मखीजा, बहन के साक्ष्य पर विस्तार से विचार करने के बाद उनके साक्ष्य को स्पष्ट, सुसंगत और प्राकृतिक माना है। यह माना गया है कि मृतका की शादी के 7 साल के भीतर उसके ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार और क्रूरता की बात स्थापित हो गई है। यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की युक्तियुक्त विवेचना पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अ.सा.-3 और अ.सा.-4 के बयान में कोई चूक या विरोधाभास नहीं है। विचारण न्यायालय ने शव परीक्षण सर्जन डॉ पीएस परिहार के साक्ष्य पर विस्तार से विचार करने के बाद, जिन्होंने श्वासनली में कार्बन कणों की अनुपस्थिति देखी है राजेश अग्रवाल (अ.सा.-10) ने अपने साक्ष्य (पैरा-44) में स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान उन्हें पता चला कि अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद थे, क्योंकि अभियुक्त जितेंद्र की दुकान मंगलवार होने के कारण बंद थी और गुमाश्ता मैडम आई हुई थीं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभियोग पत्र में यह साक्ष्य कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कमरा अंदर से बंद था, अभियुक्त जितेंद्र द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है और उन्हें दरवाजे पर कोई टूटने का निशान नहीं मिला। अभिलेखों में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं कि मृतका ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को आग लगा दी गई थी और गहरे जलने के कारण, शव परीक्षण में मृतक के शरीर पर चोटों के निशान नहीं पाए गए।

17. हमने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमने अभिलेख तथा आक्षेपित निर्णय का भी अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अ.सा.-2 प्रकाश राय मृतका का भाई है। उसने 29 अक्टू 2002 को अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी/3 के रूप में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बयान दिया था कि 4 वर्ष पूर्व उसकी छोटी बहन लक्ष्मी की शादी प्रताप राय के पुत्र जितेंद्र के साथ हुई थी। शादी के एक-दो वर्ष बाद तक सब ठीक रहा। इसके बाद वे उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। घटना के 3-4 माह पूर्व लक्ष्मी सिमगा में रहती थी , हालांकि जितेंद्र के मामा ने उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। घटना के 2 दिन पूर्व लक्ष्मी सिमगा आई और घटना के एक दिन पूर्व वह राम कुंभवानी के साथ उसकी बहन के घर रायपुर गई, जहां से अपीलकर्ता जितेंद्र उसे अपने साथ ले गया। अपने अंतिम मुलाकात के दौरान, उसने उसे बताया था कि आरोपी लोग उसे दहेज के लिए परेशान करते हैं और

उसने यह भी कहा था कि यह आखिरी मौका है, शायद वह दोबारा वापस नहीं आएगी। 22 अक्टूबर, 2002 को जितेंद्र ने फ़ोन पर बताया कि उसकी बहन ने खुद को आग लगा ली है और उसकी मौत हो गई है। 6-7 दिन बाद वह अपने चाचा के साथ खैरागढ़ गया और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) को प्रदर्श - पी/3 की लिखित रिपोर्ट दी। प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रदर्श -पी/3 की शिकायत देने से पहले उसने घटना के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। उसने यह भी कहा है कि उसने एक कांग्रेसी नेता की सलाह पर सिमगा में शिकायत (प्रदर्श -पी/3) टाइप करवाई थी। उसने आगे कहा है कि घटना के 6-7 दिन बाद अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के कार्यालय खैरागढ़ में उसका बयान केवल एक बार दर्ज किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. अ.सा. 3 सुलोचना ने बयान दिया है कि वह नहीं जानती कि मृतका का विवाह किससे हुआ था। वह अभियुक्तों को नहीं पहचानती, हालाँकि उसने बताया है कि लक्ष्मीबाई जब भी सिमगा आती थी , शिकायत करती थी कि उसके ससुराल वाले उसे पैसों के लिए परेशान करते हैं। जब लक्ष्मीबाई आखिरी बार सिमगा आई थी, तब वह उसके घर नहीं आई थी।

20. रजनी मखीजा (अ.सा.-4) मृतिका की बहन है। उसकी गवाही है कि लक्ष्मी बाई 20-2-2002 को सिमगा गई थी । 21-2-2002 को वह अपने घर रायपुर वापस आई और उसी शाम लगभग 5.30 बजे वह अपने पति जितेंद्र के साथ

खैरागढ़ गई । 22-2-2002 को लगभग 8 बजे जितेंद्र ने उसे फोन करके बताया कि लक्ष्मी ने आत्मदाह कर लिया है और प्रकाश को फोन किया, जिसके बाद वह अपने माता-पिता, दादी और पति के साथ खैरागढ़ गई। वे 23-2-2002 को लगभग सुबह 7 बजे खैरागढ़ पहुंचे , उस समय पुलिस पहले ही उसका शव ले जा चुकी थी। वह एक साल तक ससुराल में शांति से रही, हालांकि, शादी के एक साल बाद, उसके पति, ससुर, सास ने उसे दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया उसकी सास कहा करती थी कि उसके मायके के लोग भिखारी हैं। प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में उसने यह बयान दिया है कि शादी के एक साल बाद ही मृतका ने एक लड़की को जन्म दिया था। मौत से एक महीने पहले उसे मासिक धर्म संबंधी कुछ समस्या हुई थी। उसने डॉक्टर से सलाह ली थी और उसे आंशिक आराम मिला था, हालांकि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसने इस बात से इनकार किया है कि 21 अक्टू 2002 को अपनी यात्रा के दौरान मृतका ने उसे बताया था कि खैरागढ़ के एक डॉक्टर ने सर्जरी द्वारा गर्भाशय निकालने की सलाह दी थी और यह आशंका जताई थी कि उसके गर्भाशय में कैंसर हो सकता है। बयान के पैरा 17 में उसने कहा है कि घटना के अगले ही दिन उसका बयान दर्ज किया गया था और उस समय उसने पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी और उसने मृत्यु समीक्षा प्रदर्श -पी/4 में अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अ.सा.-7 कैलाश बाजपेयी खैरागढ़ थाने में नगर निरीक्षक के पद पर तैनात थे। उन्होंने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्र.-पी/5 के माध्यम से अपराध दर्ज कराया था। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्र.-पी/3 की शिकायत 26-10-2002 तक उनके समक्ष नहीं आई थी, जब अपराध दर्ज किया गया था। मर्ग विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयान आरोप-पत्र के साथ संलग्न नहीं हैं, क्योंकि उन पर गवाहों के हस्ताक्षर हैं। आरोप-पत्र में उपलब्ध सभी गवाहों के बयान 29-10-2002 को दर्ज किए गए थे। हालाँकि, उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि चूँकि मर्ग विवेचना के दौरान दर्ज किए गए बयानों में अभियुक्तों के विरुद्ध कोई आरोप नहीं थे, इसलिए उन्हें मामले में शामिल नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. प्रकाश राय और सुलोचना बाई के साक्ष्य के आधार पर, विचारण न्यायालय ने माना है कि राजेश भावनानी मृतका का देवर, प्रतापराय ससुर और पुष्पा देवी सास हैं। प्रकाश राय, सुलोचना और रजनी मखीजा के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, यह माना गया है कि अपीलकर्ताओं ने 22-10-2002 से चार साल पहले से दहेज की मांग को लेकर मृतका को परेशान किया और उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया।

23. प्रदर्श -पी/4 की विवेचना 23-10-2002 को मृतक के पिता अर्जुन दास और मृतक के मामा राज कुमार की उपस्थिति में तैयार की गई थी और विवेचना पर मृतक के पिता और बहन के हस्ताक्षर हैं। रजनी ने यह भी बयान दिया है कि

पुलिस ने घटना के अगले ही दिन उसका बयान दर्ज कर लिया था और उसने उस समय किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। मर्ग विवेचना के आधार पर कैलाश बाजपेयी द्वारा 26-10-2002 को अपराध दर्ज किया गया था, हालाँकि, मर्ग विवेचना के दौरान दर्ज बयानों को अभियोग पत्र के साथ या विचारण के दौरान न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24. अ.सा.-2 प्रकाशराय ने अपने बयान के पैरा-3 में कहा है कि मृतका घटना से 3 दिन पहले उसके घर आई थी, उस समय उसने उसे बताया था कि आरोपीगण उसे दहेज और पैसे के लिए परेशान करते रहते हैं। उसने यह भी कहा कि शायद यह उसकी आखिरी मुलाकात है और वह फिर कभी वापस नहीं आएगी और उसके 2 दिन बाद ही जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रदर्श -पी/3 की लिखित रिपोर्ट में उपरोक्त कथन गायब है। यदि इस गवाह का उपरोक्त कथन सही है, तो उस स्थिति में, उसने घटना के तुरंत बाद अपनी बहन की मृत्यु की ख सुनकर खैरागढ़ जाते समय निश्चित रूप से पुलिस को यह तथ्य बताया होगा। इसके विपरीत, मृतका की बहन रजनी मखीजा, जो घटना से एक दिन पहले 21 अक्टू, 2002 को मृतका से मिली थी, ने शपथ पर कहा है कि वह 23-10-2002 को अपने माता-पिता के साथ खैरागढ़ पहुंची थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. मर्ग विवेचना के आधार पर खैरागढ़ थाने के नगर निरीक्षक कैलाश बाजपेयी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज किया गया था । हालाँकि, मर्ग विवेचना के

दौरान दर्ज किए गए बयान न तो अभिलेख में उपलब्ध हैं और न ही उन्हें इस न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। इन परिस्थितियों में, हमें बचाव पक्ष के इस तर्क में बल मिलता है कि मर्ग विवेचना के दौरान दर्ज किए गए निकट संबंधियों के बयानों को जानबूझकर दबा दिया गया है क्योंकि उनमें अपीलकर्ताओं के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

26. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से, हम पाते हैं कि मृतका घटना से दो दिन पहले 21 अक्टू, 2002 को अपने माता-पिता से मिलने गई थी। अपनी बेटी की मृत्यु की खबर सुनने के बाद, माता-पिता रजनी और उसके पति के साथ खैरागढ़ गए । मृतका के पिता अर्जुन दास ने मृत्यु समीक्षा पर हस्ताक्षर किए हैं। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने मृतका के माता-पिता से पूछताछ नहीं की है, जो अभियोजन पक्ष के इस आरोप को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण गवाह होते कि मृतका को उसके पति और अन्य अभियुक्तों द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जाता था और वह अपने मायके में इसकी शिकायत करती रहती थी। इन परिस्थितियों में, मृतका के माता-पिता से पूछताछ न करने के लिए अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. प्रकाशराय द्वारा अनेक आरोप लगाए गए हैं सुलोचना और रजनी मखीजा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और किसी भी आरोपी के खिलाफ दहेज की मांग का कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया है। प्रकाशराय और रजनी मखीजा

ने गवाही दी है कि शादी के एक-दो साल बाद तक तो सब ठीक था। उनके पति और ससुराल वालों का व्यवहार ठीक था, लेकिन उसके बाद ही उत्पीड़न शुरू हुआ।

28. ऊपर दिए गए गवाहों के सबूतों की बारीकी से जांच करने पर, हमारी राय है कि विचारण न्यायालय का यह नतीजा कि मृतक को घटना की तारीख से 4 साल पहले से अपीलकर्ता दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे थे और उसके साथ क्रूरता कर रहे थे, रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों की गलत तरीके से जांच पर आधारित है और हमारा मानना है कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा है कि मृतक को उसकी मौत से ठीक पहले अपीलकर्ताओं ने परेशान किया था और उसके साथ क्रूरता की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि लक्ष्मी बाई उर्फ वंदना की हत्या उसके ससुराल में की गई थी और उसके बाद उसके शव को आग लगा दी गई थी। घटना के समय अपीलकर्ता उसी घर में रह रहे थे और अपीलकर्ता जितेंद्र ने मृतका के माता-पिता को फोन पर झूठी सूचना दी कि लक्ष्मी बाई ने आत्मदाह कर लिया है, जबकि शव परीक्षण सर्जन डॉ. परिहार के साक्ष्य, (जिसकी पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट और बचाव पक्ष के विशेषज्ञ के साक्ष्य से भी होती है,) से पता चलता है कि मृतका के शरीर पर मौजूद जलने के निशान मरणोपरांत आये थे ।

30. अ.सा. 10 राजेश अग्रवाल ने मृतका के पिता अर्जुन दास, मृतका की बहन रजनी मखीजा और अन्य गवाहों की उपस्थिति में मृतका की मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी/4) तैयार की है। पंचनामा में उल्लेख है कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और सभी पंचों ने बताया कि मृतका वंदना भावनानी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और खुद को जला लिया और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 23-10-2002 को प्रदर्श पी/9 के जरिए मौके पर पड़ी एक उखड़ी हुई कुंडी जब्त की है । प्रदर्श पी/10 के घटनास्थल मौका नक्शा में, जिस पर मृतका के पिता अर्जुन दास के हस्ताक्षर हैं, उल्लेख है कि बिंदु संख्या 5 वह कमरा है जिससे होकर गुजरकर घटनास्थल तक पहुंचा जा सकता है। इस कमरे के दरवाजे की अंदर की कुंडी टूटी हुई है। क्रम संख्या 5 में भी यह उल्लेख किया गया है कि जिस कमरे में घटना घटी उसका वर्णन बिंदु संख्या 6 में किया गया है और घटना के समय मृतका ने अंदर से दरवाजा (6ए) बंद कर लिया था। उसके पति ने धक्का देकर दोनों दरवाजे खोल दिए और दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है। इस साक्षी ने पैरा-24 में बयान दिया है कि "वंदना भावनानी के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था" ऐसा उसके पति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदर्श पी/10 में लिखा गया है। उसने यह भी बताया कि दरवाजे की कुंडी जदस्ती खोलने के कारण टूटी थी। अपने बयान के पैरा-22 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस घर में वंदना की मृत्यु हुई, वहां प्रतापराय के अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं। प्रतापराय के भाई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रहते हैं या नहीं, उसे नहीं पता। अपने बयान के पैरा-33 में, उसने कहा है कि उसने पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसने उनके बयान लेखबद्ध नहीं किए। उसने आगे कहा कि उन्होंने घटना के बारे में अपनी अनभिज्ञता जताई। न्यायालय के पूछने पर, इस गवाह ने दोहराया है कि घटना के समय दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन, यह बात आरोपी जितेंद्र की दी गई जानकारी के आधार पर बताई गई है कि उसने धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ा था। किसी और ने नहीं बताया कि जितेंद्र ने दरवाज़ा तोड़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय द्वारा आगे पूछताछ करने पर, उन्होंने गवाही दी कि विवेचना के दौरान उन्हें यह भी पता चला कि घटना के समय अपीलकर्ता उसी घर में मौजूद थे जहाँ घटना घटी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंगलवार का दिन था और गुमाश्ता मैडम आई हुई थीं और जितेंद्र की दुकान बंद थी, इसलिए वे कह रहे हैं कि घटना के समय चारों आरोपी उसी घर में मौजूद थे जहाँ घटना घटी थी।

पैरा 48 में उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने दरवाजों की तस्वीरें भी ली थीं और यह कहना सही है कि घटनास्थल तक पहुँचने के लिए दो दरवाजे तोड़े गए थे। यह भी सही है कि एक दरवाजा अंदर से बंद था और जिस दरवाजे से वंदना का शव

मिला था, वह भी अंदर से बंद था। यह भी सही है कि दरवाजा तोड़ने के बाद ही उस कमरे तक पहुँचना संभव हो पाया जहाँ वंदना का शव पड़ा था।

पैरा-50 में इस साक्षी ने कहा है कि 23-10-2002 को उसे पता चला कि घटना के तुरन्त बाद काफी लोग एकत्र हो गए थे, तथा होरीलाल ने अपने बयान में कहा है कि घटना के बाद वह घटनास्थल पर गया था, यद्यपि उसने इस बात से इंकार किया है कि होरीलाल ने अपने डायरी बयान में यह भी कहा था कि मौके पर उपस्थित लोग दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. अ. सा. 5 होरीलाल ने बयान दिया है कि अपीलकर्ता उसके पड़ोसी हैं । घटना की तारीख को जब वह लगभग 8 बजे रात को अपने घर लौट रहा था तो उसने देखा कि जितेंद्र के घर से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद वह उसके घर गया। पूरे मोहल्ले की लाइट बंद होने के कारण अंधेरा था। भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वे दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहे थे। प्रतिपरीक्षण में, उसने बयान दिया है कि जितेंद्र के पिता और उसके 3-4 भाई अपने परिवारों के साथ रहते हैं। दो परिवार भूतल पर और दो परिवार पहली मंजिल पर रहते हैं। जितेंद्र का परिवार इमारत के ऊपरी हिस्से में रहता है। जितेंद्र के परिवार में पूर्ण सामंजस्य

है और कोई झगड़ा नहीं है। मृतक वंदना ने कभी अपने सास ससुर के खिलाफ शिकायत नहीं की । घर का दरवाजा लात मारकर तोड़ा गया था; उस समय वह दरवाजे के बाहर खड़ा था, हालाँकि, उसने फर्श पर पड़ी लाश नहीं देखी।

32. विचारण न्यायालय ने राजेश अग्रवाल के इस साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया कि घटनास्थल, जहाँ शव पड़ा था, तक पहुँचने के लिए अंदर से बंद दो दरवाज़ों को तोड़ना ज़रूरी था। क्योंकि यह तथ्य जितेंद्र द्वारा बताए गए प्र. पी/10 में दर्ज किए गए थे, जबकि राजेश अग्रवाल को दरवाज़े पर टूटने का कोई निशान नहीं मिला। विवेचना के समय उन्हें किसी ने नहीं बताया कि दरवाज़ा जितेंद्र ने तोड़ा था। विचारण न्यायालय ने अ.सा. 5 होरीलाल के साक्ष्य को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केवल होरीलाल और राजेश अग्रवाल के साक्ष्य के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि जिस कमरे में मृतक का शव मिला था, वहाँ घटना के दिन कोई भी नहीं जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. हम पहले ही पिछले पैराग्राफ में उल्लेख कर चुके हैं कि प्रदर्श पी/4 की मृत्यु समीक्षा में विवेचना अधिकारी ने पंच गवाहों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उल्लेख किया है कि जिस कमरे में शव मिला था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। फर्श पर पड़ी कुंडी को विवेचना अधिकारी ने प्रदर्श पी/9 के तहत जब्त कर लिया था । मृतक के पिता की उपस्थिति में तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस कमरे में शव

पड़ा था, उस तक पहुंचने के लिए अंदर से बंद दो कमरों के दरवाजे तोड़े गए थे और कमरे अंदर से बंद थे। होरीलाल (अ.सा.-5) एक स्वतंत्र गवाह है। उसने यह भी बयान दिया है कि घटना के समय उसने जितेंद्र के घर से धुआं निकलते देखा था। वह वहां गया और देखा कि वहां काफी लोग इकट्ठा थे और वे दरवाजा तोड़ने के लिए कह रहे थे और इसके बाद जितेंद्र ने उसकी उपस्थिति में दरवाजा तोड़ दिया।

34. *जावेद मसूद एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य* के मामले में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *मुख्तियार अहमद अंसारी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (एआईआर 2005 एससी 2804) के मामले में अपने पूर्व निर्णय के पैरा 30 और 31 का संदर्भ देते हुए,* अनुमोदन से, यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां अभियोजन पक्ष का गवाह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है और उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया तो , उस मामले में, बचाव पक्ष ऐसे गवाह के साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है और यह अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35. इस मामले में, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाह होरीलाल ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि जिस कमरे में मृतक का शव मिला था, उसका दरवाज़ा जितेंद्र ने उसकी मौजूदगी में तोड़ा था । उसने यह भी बयान दिया है कि जितेंद्र के घर के सामने भीड़ जमा हो गई थी और दरवाज़ा तोड़ने की माँग कर

रही थी। यहाँ तक कि विवेचना अधिकारी राजेश अग्रवाल ने भी घटना के अगले दिन तैयार की गई मृत्यु समीक्षा और घटनास्थल के नक्शे में इस तथ्य को दर्ज किया है और कहा है कि दोनों दरवाज़ों को तोड़े बिना कमरे में प्रवेश करना संभव नहीं था । अभिलेख में इस बात के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि अन्य लोग दरवाज़े तोड़कर ही वहाँ प्रवेश कर सकते थे।

36. *दलबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* के मामले में अभियुक्त की पत्नी और दो बेटियों की कमरे के अंदर जलने से मौत हो गई। पति पर अन्य धाराओं के अलावा अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, यह मानते हुए कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप स्थापित नहीं हुआ क्योंकि अभियुक्त अपनी पत्नी और बेटियों को कमरे के अंदर आग लगाकर भाग नहीं सकता था क्योंकि उस स्थिति में वह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं कर सकता था जो यह दर्शित करता है कि मृतक की मृत्यु आत्महत्या कारित करने से हुई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त करने के उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को सर्वोच्च न्यायालय ने यथावत रखा और यह माना गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है।

37. शव परीक्षण सर्जन डॉ पीएस परिहार ने गवाही दी है कि श्वासनली की श्लेष्मा झिल्ली गुलाबी थी और कार्बन कण अनुपस्थित था। दोनों फेफड़े पीले और सिकुड़े हुए थे। कोई कार्बन कण नहीं देखा गया। हृदय के दोनों कक्ष खाली पाए गए। प्रमुख धमनियों में गहरे भूरे रंग का रक्त मौजूद था । पूरे शरीर में तृतीय डिग्री थर्मल बर्न और झुलसन मौजूद है। ऊष्मीय फटाव मौजूद है, जो 100% तक विस्तृत है और प्रकृति में मृत्यु के बाद का प्रतीत होता है। डॉक्टरों ने आगे यह राय दी कि मृत्यु और शव परीक्षण के बीच का अंतराल 6 से 36 घंटे का है। मृत्यु के कारण के संबंध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। मृतक के शरीर पर मौजूद जलन मृत्यु के बाद की प्रकृति की हैं और श्वासनली में कार्बन कण नहीं पाए गए। मृतक के शरीर पर पाया गया तापजनित जलन भी प्रकृति में मृत्यु के बाद का है। मृतक के विसरा, रक्त, बाल और कपड़ों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के परीक्षण के लिए संरक्षित किया गया है। यह सलाह दी गई कि मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाने हेतु परिस्थितिजन्य साक्ष्य, शव परीक्षण रिपोर्ट तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट को फॉरेंसिक विशेषज्ञ को भेजा जाए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया गया है कि श्वासनली में कार्बन कण अनुपस्थित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. विचारण न्यायालय ने श्रीमती लक्ष्मी जिरानी (ब.सा.- 1) के साक्ष्य और रजनी मखीजा (अ. सा.4) की स्वीकारोक्ति, कि मृतका मासिक धर्म संबंधी विकार से पीड़ित थी और उसने इसके लिए डॉक्टरों से परामर्श किया था, पर विचार करने के बाद अपीलकर्ताओं के बचाव को खारिज कर दिया कि मृतका अपनी गंभीर बीमारी के कारण मानसिक रूप से परेशान थी और इसलिए उसने आत्महत्या की होगी, इस टिप्पणी के साथ कि बचाव पक्ष ने रायपुर में किसी भी डॉक्टर का परीक्षण नहीं कराया था, जिन्होंने कथित तौर पर मृतका का इलाज किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. चिकित्सा विधिशास्त्र और विष विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों और डॉ. परिहार के साक्ष्य का सन्दर्भ देते हुए, यह माना गया कि चोटें मृत्यु के बाद की प्रकृति की हैं। इस तर्क को खारिज करते हुए कि यदि हृदय कमज़ोर है तो आघात भय से भी हो सकता है, यह देखा गया है कि अभिलेखों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक का हृदय कमज़ोर था।

40. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने चिकित्सा न्यायशास्त्र का विस्तार से सन्दर्भ देते हुए तर्क दिया कि लालिमा की रेखा का न होना या कक्ष में चेरी के लाल रंग के खून की मौजूदगी मरणोपरांत जलने की चोटों का निर्णायक सबूत नहीं है। कुछ मामलों में जहां मृतक की जलने से पहले डर से हुए सदमे के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई, अगर दिल कमजोर है या जहां मरने वाले पीड़ित का

शरीर आग और तीव्र गर्मी के संपर्क में रहता है, तो ऐसे पीड़ित के शरीर को ढंकने वाले कुछ या सभी पूर्व-मृत्यु के जलने के निशान मरणोपरांत जलने की तरह दिख सकते हैं । गर्मी के प्रभाव में खून का रंग भूरा भी हो जाता है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि क्या पीड़िता बहुत कमजोर व्यक्ति है जो जलने के कारण सदमे से तुरंत मर जाएगी, यह संभव है कि लालिमा की रेखा अनुपस्थित हो।

41. मृतक के पोस्टमार्टम के बाद, शव परीक्षण सर्जन डॉ. परिहार ने मृतका की चोटों को मृत्यु पश्चात जलने से आई चोटें बताया है। हालांकि, शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉ. परिहार ने यह उल्लेख किया कि वह मृतका की मृत्यु के सटीक कारण का निर्धारण करने में असमर्थ हैं और उन्होंने जाँच अधिकारी को शव परीक्षण रिपोर्ट , फोरेंसिक प्रयोगशाला रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य को फोरेंसिक विशेषज्ञ की राय हेतु भेजने की सलाह दी। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट या संघर्ष के चिन्ह नहीं मिले। मृतका के हाथ-पैर बाँधने के निशान नहीं थे, शरीर पर कोई चोट नहीं थी, और गर्दन पर गला घोंटने जैसे किसी प्रकार के निशान भी नहीं थे। शरीर पर मृत्यु-पूर्व हिंसा के कोई संकेत नहीं पाए गए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्बन कण तभी पाए जा सकते हैं जब मृतका जीवित रहते हुए कार्बन कणों के संपर्क में आई हो। उन्होंने आगे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कहा कि शॉक की स्थिति में हृदय खाली होता है, फेफड़े फैल जाते हैं, तथा प्लीहा और गुर्दे पीले दिखाई देते हैं। ये लक्षण वेसोवैगल शॉक के मामलों में नहीं मिलते। उन्होंने यह भी कहा कि हृदय, प्लीहा और गुर्दे से संबंधित उपरोक्त लक्षण दोनों स्थितियों—मृत्यु पूर्व जलन की चोट तथा मृत्योपरांत जलन की चोट —में पाए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक जलता रहे, तो मृत्यु से पहले की जलन के लक्षण नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति कमजोर स्वास्थ्य वाला हो और जलने के प्रारंभिक चरण में ही शॉक के कारण मर जाए, तो उस स्थिति में शॉक के लक्षण नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेसोवैगल शॉक में हृदय और श्वसन तंत्र पक्षाघातग्रस्त हो जाते हैं और मृत्यु संभव है। कमजोर व्यक्तियों में आकस्मिक रूप से या आत्मदाह की स्थिति में जलन होने पर रिफ्लेक्स कार्डियक अरेस्ट या वेसोवैगल शॉक होना संभव है। वह अपनी इस राय पर अड़े रहे कि ज़्यादा जलने की वजह से वे मौत की वजह का पता नहीं लगा पाए, इसलिए उन्होंने फोरेंसिक विशेषज्ञ की राय लेने की सलाह दी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. बचाव पक्ष ने स्वतंत्र फोरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. सुनीता ढेंगे का परीक्षण कराया है। विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने की उनकी योग्यता के बारे में विस्तार से गवाही देने के बाद, उन्होंने कहा कि विवेचना रिपोर्ट, शव परीक्षण रिपोर्ट, घटनास्थल के नक्शे और विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक

अध्ययन करने के बाद, उनका मानना है कि वंदना भावनानी की मृत्यु जलने के कारण हुए सदमे के कारण हुई। उन्हें जलने का असर होने से पहले ही आघात लग गया था।

43. शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर मौत का कारण पता नहीं लगा सके और उन्होंने अभियोजन एजेंसी को सलाह दी कि वे शव परीक्षण रिपोर्ट, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट और विवेचना के दौरान एकत्र किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य को कुछ फोरेंसिक विशेषज्ञ को भेजें और उनकी राय प्राप्त करें। उन्होंने शरीर के अंदर और बाहर से रक्त के नमूने भी एकत्र किए थे और रासायनिक परीक्षण के लिए सलाह दी थी। प्रदर्श पी/13 के ज्ञापन के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल श्वासनली और कुछ तरल युक्त छोटी बोतल को निदेशक, गांधी मेडिकल कॉलेज, मेडिको लीगल सेंटर, भोपाल को विवेचना के लिए भेजा गया था। एक अन्य ज्ञापन (प्रदर्श पी/14), दिनांक 13 नवं, 2002 द्वारा निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर को संबोधित किया गया, विवेचना के दौरान जब्त अन्य वस्तुएं राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर को भेजे गए हैं। हालांकि, प्रदर्श पी/16 की विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट मृतक के श्वासनली और तरल के नमूने वाली छोटी बोतल के बारे में है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. इस प्रकार, अभिलेख पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य पर विचार करते हुए जैसे कि मृतक का कमरा अंदर से बंद था, अभियोजन पक्ष घटना के समय आरोपी

व्यक्तियों की उस कमरे में उपस्थिति के संबंध में कोई सकारात्मक सबूत पेश करने में विफल रहा है जहां मृतक का मृत शरीर जली हुई हालत में पाया गया था, शव परीक्षण सर्जन की स्पष्ट राय कि मौत का कारण पता नहीं लगाया जा सका, शव परीक्षण के दौरान एकत्र किए गए मृतक के रक्त के नमूनों और श्वासनली में कार्बन कण की अनुपस्थिति के बारे में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को छोड़कर अन्य वस्तुओं के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट की अनुपस्थिति, शव परीक्षण सर्जन की राय के साथ-साथ बचाव पक्ष द्वारा विवेचना गए फोरेंसिक विशेषज्ञ की राय कि यदि व्यक्ति जलने के प्रारंभिक चरण में सदमे के कारण मर जाता है, तो मृत शरीर पर लक्षण मरणोपरांत जलने की चोटों के हो सकते हैं; डॉ . श्रीमती का निर्विवाद साक्ष्य । लक्ष्मी जिरानी (ब.सा.-1) के निर्विवाद कथन, जिसकी पुष्टि रजनी मखीजा (अ.सा.-4) के साक्ष्य से होती है, जो अपीलार्थी जितेंद्र के बचाव को समर्थन प्रदान करता है कि मृतका परेशान थी क्योंकि वह पिछले लगभग एक महीने से असामान्य मासिक धर्म विकार से पीड़ित थी , हमारा मत है कि विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायसंगत नहीं था कि अपीलकर्ता घटना के समय घर में मौजूद थे और उन्होंने वंदना की हत्या की और उसके बाद उसके शरीर को आग लगा दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि अपीलकर्ता घर में मौजूद थे, राजेश अग्रवाल (अ.सा.-10) के साक्ष्य पर आधारित है, जिसने कुछ बाहरी आधारों पर

यह अनुमान लगाया है कि जितेंद्र की दुकान बंद थी और इसलिए सभी अभियुक्त घर में मौजूद थे। अभिलेख में निर्विवाद साक्ष्य उपलब्ध है कि प्रतापराय घर में मौजूद नहीं था और अपीलकर्ता जितेंद्र ने होरीलाल की उपस्थिति में उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जहाँ मृतक का शव मिला था।

46. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, हमारी राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 498 - क और 304 - ख तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी ठहराना न्यायोचित नहीं था और विचारण न्यायालय को आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देना चाहिए था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

47. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है । भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 498 - क और 304 - ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपीलकर्ताओं पर लगाए गए दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है और उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 2, 3 और 4 जमानत पर थे। 29-6-2010 को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया था और इसके निष्पादन में अपीलकर्ता संख्या 2 प्रतापराय और अपीलकर्ता संख्या 3 राजेश भावनानी को गिरफ्तार किया गया और इस अदालत में पेश किया गया और इस न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। अपीलकर्ता संख्या 4 पुष्पा देवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निष्पादित नहीं किया

जा सका। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाता है यदि किसी अन्य मामले में अभिरक्षा में रखे जाने की आवश्यकता न हो ।

सही/-	सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा	आरएन चंद्राकर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur